(c) The main causes of derailments were failure of railway staff, equipment failure and sabotage.

(d) Some of the important steps being taken to reduce derailments are induction of technical devices to aid the human element, intensive and frequent inspections of sensitive installations, monitoring the performance of critical safety categories such' as drivers, guards and station masters and patrolling of track etc.

**सेवा निवृत होने वाले रेल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना**

2041. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिए एक उदार स्वास्थ्य योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंशदान हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(घ) इस योजना के अधीन क्या-क्या सेवाएं प्रदान की जायेंगी ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी, उसकी पत्नी/उसका पति तथा एक आय सीमा के अंतर्गत आने पर आश्रित विधवा मां भी, अंतिम माह के मूल वेतन का एक -बारगी अंशदान करने पर रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य यूनिटों में निशुल्क बहिरंग तथा अंतरंग उपचार कराने के पात्र हैं। उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में भेजे जाने वाले मामलों में उपचार पर आने वाले खर्च के 50% खर्च की प्रतिपूर्ति, कृत्रिम अंग की एक बार निशुल्क सप्लाई तथा पेस मेकरों, रेलवे अस्पतालों में प्रत्यारोपण किए जाने पर, की मामूली लागत पर सप्लाई

**विकलांग व्यक्तियों को रेल किराए में रियायत**

2042. **कुमारी आत्लिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग व्यक्तियों को रेल किराये में रियायत देती है; और

(ख) यदि हां, तो विकलांगों के साथ रक्षार्थ जाने वालों को क्या रियायत दी जाती है और ऐसी रियायत कितने प्रतिशत दी जाती है और किस गाड़ी (सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रेस आदि) में और किस श्रेणी में दी जाती है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जब अपने सहयोगी के साथ यात्रा करता है तो उसे पहले और दूसरे दर्जे में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाती है लेकिन इसके लिए उसे सरकारी डाक्टर या आर्थोपेडिक सर्जन से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विकलांग है और वह बिना सहयोगी के यात्रा नहीं कर सकता है। इस रियायत के लिए सहयोगी भी पात्र है। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रस और नई दिल्ली-बम्बई सेंट्रल ए.सी. एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर उन्हें मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें सुपर, फास्ट गाड़ियां भी शामिल हैं, में यात्रा करने की अनुमति है लेकिन हर मेल एक्सप्रेस गाड़ी में आम जनता पर जो अन्यथा दूरी प्रतिबंध लागू होते हैं। वे ही दूरी प्रतिबंध उन पर भी लागू होते हैं।